नम्बर /वर्ष 778/2021 अनवानी भवरलाल बनाम नन्दराम

तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
30/10/25	पत्रावली पेश हुई प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादी के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की हस्तगत वाद में प्रतिवादी संख्या 5 कानाराम फोत हो चुका है जिसके जायज वारिस प्रार्थना पत्र. में अंकितानुसार है चुकि कानाराम के विरूद्व कोई इस्तदुआ नही है वाद में उसे भूमि प्राप्त होनी है इसलिये आवश्यक पक्षकार है अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 5 के वारिसान को वाद में आवश्यक पक्षकार है पक्षकार बनाये जाने के आदेश फरमावे। प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की प्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र बिना किसी दस्तावेज क पेश किया गया है ना ही रिजनेबल ग्राउण्ड पर है कानाराम की मृत्यू दिनांक 15.08.2023 को हो चुकी थी जिसके उपरान्त वादी का वादी स्वत ही अवैट हो चुका है प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र दो वर्षो के पश्चात पेश किया गया है जिसके साथ किसी भी प्रकार का मियाद प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया है ना ही कोई दस्तावेज पेश किया अनवानी इसलिये प्रार्थना पत्र मेन्टेबल नही है प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 5 कानाराम के देहान्त होने के बाद वारिसान का पक्षकार बनाने की मियाद खत्म होने पर स्वतः ही अवेट हो गया था प्रार्थी/वादी ने अवेट निरस्त करवाने का कोई अनुतोष/प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया है इसलिये प्रार्थी/वादी का वाद अबेट हो चुका है प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर वादी का वाद अवेट फरमाया जावे। हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया वादी ने वाद दिनांक 25.08.2021 को प्रस्तुत किया गया था वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलब के आदेश दिये गये थे प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 की तलबी हेतु काफी समय दिये जाने के उपरान्त रजिस्टर सम्मन पेश किये गये थे प्रार्थी/वादी ने प्रतिवादी संख्या 5 कानाराम के वारिसान का पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 25.08.2025 को पेश किया गया है प्रतिवादी संख्या 1 के कथनानुसार कानाराम का देहान्त दिनांक 15.08.2023 को हुआ है जिसका कोई प्रतिरोध वादी/प्रार्थी के द्वारा नही किया गया अर्थात कानाराम की मृत्यू दिनांक 15.08.2023 को होनी मानी जा सकती है। प्रार्थी ने कानाराम प्रतिवादी संख्या 5 के देहान्त होने के उपरान्त उसके वारिसान को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 25.08.2025 को पेश किया गया है अपने प्रार्थना पत्र के संलग्न किसी प्रकार का कोई दस्तावेज कानाराम की मृत्यू या वारिसान के सम्बध में प्रस्तुत नही किया गया है ना ही अपने प्रार्थना पत्र के संलग्न मियाद प्रार्थना पत्र पेश किया गया है केवल मात्र प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया है जो विधि सम्मत नही है। कानाराम की मृत्यू दिनांक 15.08.2023 को हो चुकी थी तो उसके वारिसान को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र दो वर्ष की अवधी के पश्चात पेश किया गया है जो विधिसम्मत नही है प्रार्थी/वादी ने प्रतिवादी संख्या 5 कानाराम के वारिसान को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र काफी देरीना से पेश किया गया है देरीना से प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई सन्तोषजनक कारण भी व्यक्त नही किया गया ना ही अपने प्रार्थना पत्र के संलग्न मियाद प्रार्थना पत्र/शपथ पत्र पेश नही किया गया है जो विधिसम्मत नही है। राजस्व न्यायालय में प्रार्थना पत्रो का देरीना से पेश करने के	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:35:15 IST
Reason: SelfAttested

Rahul उपखण्ड अधिकारी मोहर

कारण ही वाद काफी लम्ब समय तक विचाराधीन रहती है जो केवल वादी या पक्षकारो के द्वारा वाद में प्रार्थना पत्र समय पर पेश नही करने के कारण होता है जो विधि सम्मत नही है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी /प्रार्थी ने प्रतिवादी संख्या 5 कानाराम के वारिसान को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र काफी देरीना से पेश किया गया है प्रार्थना पत्र देरीना से पेश करने का कोई सन्तोषजनक कारण भी अंकित नही किया गया है ना ही अपने प्रार्थना पत्र के संलग्न मियाद प्रार्थना पत्र या देरीना को माफी करने का कोई कथन अकित या सन्तोषजनक कारण व्यक्त किया गया है प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र देरीना से पेश करने के कारण खारिज योग्य है। प्रार्थी /वादी समस्त दस्तावेजात /नवीन दस्तावेजात /आवश्यक पक्षकारो को समायोजित करे पुनः वाद पेश करने के लिये स्वतन्त्र रहेगा

प्रार्थी /वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी प्रतिवादी संख्या 5 कानाराम के वारिसान को पक्षकार बनाये जाने का काफी देरीना से पेश करने के कारण स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा वादी का वाद आवश्यक पक्षकारो को समय पर पक्षकार नही बनाये जाने के कारण अबैट होने के कारण अबेट किया जाकर खारिज किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/10/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
मोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.04 16:35:15 IST
Reason: SelfAttested